न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 104/2024

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख उम्र 63 वर्ष साकिन 13 एल. एन. पी. ठाकरांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. गुरजन्ट सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख उम्र 55 वर्ष साकिन 13 एल. एन.पी., ठाकरांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

—— वादीगण

बनाम

1. काला सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 13 एल. एन. पी., ठाकरांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर
3. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा उद्योग विहार, श्रीगंगानगर।

—— प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री मनोहर लाल सहारण	वादीगण
अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा	प्रतिवादी संख्या 1
पैरोकार राज	(प्रति.–2)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 30.12.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार तहसील श्रीगंगानगर के चक 13 एल.एन.पी. फस्ट के खाता संख्या 81 /70 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 14 के किला नं. 4 ता7, 14 ता 17, 23 ता 25 में 2.7830 हैक्टयर रकबा राजस्व रिकार्ड वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है। तहसील श्रीगंगानगर के चक 13 एल. एन. पी. सैकिण्ड के खाता संख्या 97/70 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 50 के किला नं. 25/ 2 की 0.0380 है0, मुरब्बा नं. 51 के किला नं. 16/2 में 0.0900 है0, किला नं. 17 ता 24 प्रत्येक सालम, किला नं. 25 में 0.2150 है0 नहरी कुल 2.3670 हैक्टयर रकबा राजस्व रिकार्ड वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है। नकल मौजूदा जमावन्दी सम्वत् 2071–74 संलग्न वाद पत्र हैं। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का परिवार काफी वड़ा हो गया हैं। चूंकि खाता सांझा हैं इस कारण सरकारी अनुदान व बैंक ऋण सुविधा में कई प्रकार की व्यवहारिक व कानूनी दिक्कते आती हैं व ऋण सुविधा का पूरा फायदा नहीं मिल पाता, इस कारण हक व हिस्सानुसार कब्जा काश्त अनुसार खाता तकसीम करवाना आवश्यक व जरूरी हैं। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ने काश्त की सहूलियत, अच्छी आवपाशी, हक व हिस्सानुसार आज से करीबन 10 वर्ष पूर्व घरेलू बंटवारा कर लिया था, इस घरेलू बंटवारानुसार प्रत्येक पक्ष अपने हक व हिस्सा के रकबा पर काबिज हैं व बिना किसी विघन के अपने हक व हिस्सा के रकवा का उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं।घरू बंटवारानुसार प्रत्येक पक्ष के हक में रकबा निम्न प्रकार से आया हैं-- क– वादी सं. 1 महेन्द्र सिंह का हिस्सा तहसील श्रीगंगानगर के चक 13 एल.एन.पी. फस्ट के खाता संख्या 81 /70 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 14 के किला नं. 5 की 0.240 है0 मय खाला, किला नं. 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 0.240

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टयर कुल 1.200 हैक्टयर नहरी मय खाला व चक 13 एल. एन. पी. सैकिण्ड के खाता संख्या 97/70 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 50 के किला नं. 25/2 की 0.0380 है0, मुरब्बा नं. 51 के किला नं. 21 ता 24 प्रत्येक में 0.240 है0, किला नं. 25 में 0.206 है0 की कुल 1.166 हैक्टयर दोनों चको की कुल 2.404 हैक्टयर नहरी मय खाला अर्थात् 9.10 बीघा ।

वादी सं. 2 गुरजन्ट सिंह का हिस्सा :–

तहसील श्रीगंगानगर के चक 13 एल. एन. पी. फ़स्ट के खाता संख्या 81 /70 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 14 के किला नं. 4, 7, 14, 17, 23, 24 प्रत्येक सालम, किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 0.0130 हैक्टयर, (किला नं. 4, 7, 14, 17, 24 से चिपता हुआ) कुल 1.583 हैक्टयर नहरी 6 बीघा 5. बिस्वा

प्रतिवादी सं. 1 काला सिंह का हिस्सा :–

तहसील श्रीगंगानगर के चक 13 एल. एन. पी. सैकिण्ड के खाता संख्या 97/70 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 51 के किला नं. 16/2 में 0.0900 है0, किला नं. 17, 18, 19, 20 प्रत्येक सालम कुल 1.102 हैक्टयर नहरी अर्थात् 4 बीघा 7–1 / 2 बिस्वा नहरी। वादीगण ने कई बार प्रतिवादी सं. 1 से कहा कि घरेलू बंटवारानुसार जिस प्रकार प्रत्येक पक्ष के हक व हिस्सा में रकबा आया है उसी अनुसार खाता तकसीम करवाने के लिए व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के लिए आप सक्षम अधिकारी के समक्ष सहमति के ब्यान कर दो ताकि घरेलू बंटवारा का अमल दरामद हो जावे। पहले तो वह आजकल – आजकल करते रहे फिर आज से 10 रोज पूर्व स्पष्ट इंकार हो गये और कहने लगा कि मैं तो इस घरेलू बंटवारा को नहीं मानता हूँ और ना ही तुम्हारे पक्ष में सहमति के ब्यान करता हूँ तुम्हे जो करना है सो करो बस यही बिनाय दावा है जो वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के खिलाफ हासिल हुआ हैं। राजस्थान सरकार भूमि की मालिक हैं आवश्यक पक्षकार है इसलिए उसे प्रतिवादी पक्षकार बनाया है लेकिन उससे कोई अनुतोष नहीं चाहा हैं। रकबा बैंक के रहन हैं इसलिए बैंक को प्रतिवादी पक्षकार बनाया हैं । दावा श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो समयावधि में समुचित कोर्टफीस पर पेश हैं। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें :–

क– घोषित किया जावे कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 वाद पत्र की मद संख्या 7 के अनुसार खातेदार काश्तकार हैं।

ख– इसी अनुसार खाता तकसीम किया जाकर लगान व आबियाना अलग अलग कायम किया जावे।

ग– खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

घ– अन्य कोई आज्ञा जो न्यायसंगत व हम वादीगण के पक्ष में हो प्रदान की जावे ।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया जिसमें कथन किये गये कि उपरोक्त अनवानी वाद पत्र में प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकारान एक ही परिवार होने के कारण गांव के मौतबिरान व नजदीकी रिश्तेदारों के द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा करवा दिया है। हम पक्षकारान की सहमति घरू बंटवारा अनुसार प्रत्येक पक्ष में हिस्सा निम्न प्रकार है :–

प्रथम पक्ष सं. 1 महेन्द्र सिंह का हिस्सा :–

तहसील श्रीगंगानगर के चक 13 एल. एनपी. फस्ट के खाता संख्या 81 /70 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 14 नं. 14 के किला नं. 5 की 0.2340 है0 मय खाला, किला नं. 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 0.240 हैक्टयर कुल 1. 194 हैक्टयर नहरी मय खाला व चक 13 एल. एन. पी. सैकिण्ड के खाता संख्या 97 / 70 के पत्थर नं. 0 के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

मुरब्बा नं. 50 के किला नं. 25/2 की 0.0380 हैo, मुरब्बा नं. 51 के किला नं. 21 ता 24 प्रत्येक में 0.240 हैo, किला नं. 25 में 0.196 है0 की कुल 1.156 हैक्टयर दोनों चको की कुल 2.388 हैक्टयर नहरी मय खाला अर्थात् 9 बीघा 8–1 / 2 विस्वा

ख– प्रथम पक्ष सं. 2 गुरजन्ट सिंह का हिस्सा :–

तहसील श्रीगंगानगर के चक 13 एल.एन.पी. फस्ट के खाता संख्या 81/70 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 14 के किला नं. 4, 7, 14, 17, 23, 24 प्रत्येक सालम, किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 0.0130 हैक्टयर, (किला नं. 4, 7, 14, 17, 24 से चिपता हुआ) कुल 1.583 हैक्टयर नहरी 6 बीघा 5 बिस्वा

नोट– मुरब्बा नं. 51 के किला नं. 21 ता 25 व मुरब्बा नं. 14 के किला नं. 5 महेन्द्र 1–1 विस्वा' सिंह, गुरजन्ट सिंह, रास्ता के आने–जाने के लिए मुश्तर्का रहेगा।

ग– द्वितीय पक्ष काला सिंह उर्फ जसमेल सिंह का हिस्सा :–

तहसील श्रीगंगानगर के चक 13 एल. एन. पी. सैकिण्ड के खाता संख्या 97/70 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 51 के किला नं. 16/2 में 0.0900 है0, किला नं. 17, 18, 19, 20 प्रत्येक सालम कुल 1.102 हैक्टयर नहरी ।

लिहाजा यह राजीनामा पक्षकारान ने अपने सावते होशो हवास में बिना किसी नशा पता व जवर दवाब के तहरीर करवा दिया है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत्–2071 –2074 ग्राम 13 एलएनपी प्रथम, पटवार क्षेत्र बख्तावाली, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 81/70, जमाबंदी सम्वत्–2071 –2074 ग्राम 13 एलएनपी सेकेण्ड, पटवार क्षेत्र बख्तावाली(19 एमएल), भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 97/70, की प्रति पेश की गई। । प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है, एवं वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य पारिवारिक समझौता हो चुका है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात एवम् जमाबन्दी, एवं प्रस्तुत राजीनामा के अवलोकन से न्यायालय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित यिका जाता है :–

क– प्रथम पक्ष सं. 1 महेन्द्र सिंह का हिस्सा :–

तहसील श्रीगंगानगर के चक 13 एल. एन.पी. फस्ट के खाता संख्या 81 /70 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 14 नं. 14 के किला नं. 5 की 0.2340 है0 मय खाला, किला नं. 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 0.240 हैक्टयर कुल 1.194 हैक्टयर नहरी मय खाला व चक 13 एल. एन. पी. सैकिण्ड के खाता संख्या 97 / 70 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 50 के किला नं. 25/2 की 0.0380 हैo, मुरब्बा नं. 51 के किला नं. 21 ता 24 प्रत्येक में 0.240 है0, किला नं. 25 में 0.196 है0 की कुल 1.156 हैक्टयर दोनों चको की कुल 2.388 हैक्टयर नहरी मय खाला अर्थात् 9 बीघा 8–1/2 बिस्वा।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

ख– प्रथम पक्ष सं. 2 गुरजन्ट सिंह का हिस्सा :–

तहसील श्रीगंगानगर के चक 13 एल.एन.पी. फस्ट के खाता संख्या 81/70 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 14 के किला नं. 4, 7, 14, 17, 23, 24 प्रत्येक सालम, किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 0.0130 हैक्टयर, (किला नं. 4, 7, 14, 17, 24 से चिपता हुआ) कुल 1.583 हैक्टयर नहरी 6 बीघा 5 बिस्वा।

नोट– मुरब्बा नं. 51 के किला नं. 21 ता 25 व मुरब्बा नं. 14 के किला नं. 5 महेन्द्र सिंह, गुरजन्ट सिंह 1–1 बिस्वा रास्ता के आने–जाने के लिए मुश्तर्का रहेगा।

ग– द्वितीय पक्ष काला सिंह उर्फ जसमेल सिंह का हिस्सा :–

तहसील श्रीगंगानगर के चक 13 एल. एन. पी. सैकिण्ड के खाता संख्या 97/70 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 51 के किला नं. 16/2 में 0.0900 है0, किला नं. 17, 18, 19, 20 प्रत्येक सालम कुल 1.102 हैक्टयर नहरी ।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ॠण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 30.12.2024 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर0

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर